**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1204**

**उत्तर देने की तारीखः 20.12.2018**

**‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ का प्रभाव आकलन अध्ययन**

**1204. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ का इसकी शुरूआत

के बाद से प्रभाव आकलन का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारंभ किया गया था और इस कवायद के क्या परिणाम निकले तथा क्या बाद में इस योजना में कोई संशोधन किए गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो आकलन का कार्य नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): स्कूली शिक्षा के आधारभूत वर्षों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2014 में सर्व शिक्षा अभियान की पूर्व केन्द्रीय प्रायोजित योजना के एक उप-कार्यक्रम के रूप में ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ (पीबीबीबी) का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में बोधगम्यता के साथ शुरूआती पठन और लेखन तथा बुनियादी संख्यात्मक कौशल का संवर्धन करना है। भारत में सभी सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल पीबीबीबी के तहत इसमें कवर किए गए हैं।

 पीबीबीबी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अलग से कोई परिणाम सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, कक्षा-III, V, VIII और X में बच्चों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया जाता है। सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 701 जिलों में ग्रेड स्तर III, V और VIII पर बच्चों द्वारा प्राप्त की गई सक्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए 13 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) करवाया गया जिसमें 1.10 लाख स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थी शामिल किए गए थे। जिलों में एनएएस (2017) सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में भाषा, गणित, ईवीएस/विज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में रिपोर्टिंग की इकाई के रूप में संचालित किया गया। सक्षमता आधारित परीक्षा अधिगम परिणामों पर आधारित थी जिन्हें भारत सरकार द्वारा हाल ही में आरटीई अधिनियम के केन्द्रीय नियमों में शामिल किया गया था। जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने के लिए एनएएस जिला रिपोर्ट कार्डों को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। तद्नुसार कार्यवाही का एक ढांचा तैयार किया गया है और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे राज्यों के साथ साझा किया गया है। एनएएस में चुनिंदा विषयों में बच्चों के अधिगम उपलब्धि स्तरों में निरंतर सुधार दर्शाया गया है।

 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में स्कूल शिक्षा के लिए एक समेकित योजना- समग्र शिक्षा आरंभ की है। इस कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की पूर्व की तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को समेकित किया गया है। यह प्री-स्कूल से कक्षा-XII तक विस्तार करते हुए स्कूल शिक्षा क्षेत्र का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी एवं समान गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इसमें ‘स्कूल’ के प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा जारी रखने की परिकल्पना की गई है।

 समग्र शिक्षा के तहत, केन्द्र सरकार ने पीबीबीबी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों के लिए विशेष सेतु सामग्रियां तैयार करना; निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान, अनुपूरक पठन सामग्री तैयार करना और उनका प्रापण; सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण; फाउंडेशनल कक्षाओं के लिए समर्पित शिक्षक और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत यथा निर्धारित अपेक्षित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त पीबीबीबी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत स्कूल पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 3000/- रुपए से 20,000/- रुपए प्रति स्कूल के वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*